रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936
No. 19]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSHA 22, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 21(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (गेस्टेटनर-सह-फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं सहकारिता विभाग (गेस्टेटनर-सह-फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर), भर्ती (संशोधन) है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (गेस्टेटनर-सह-फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर), भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में -

(i) स्तम्भ (7) के अधीन की विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय

है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है" ;

(ii) स्तम्भ (9) के अधीन की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर ''सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष'' प्रविष्टि रखी जाएगी

[सं. आर 12018/05/2012-स्थापना-II]

ब्रजे ा गोडरा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसचूना सं. सा.का.नि. 29, तारीख 13 फरवरी, 2014 द्वारा अधिसूसचित किया गया था और भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) तारीख 15 फरवरी, 2014 को प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2015

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation (Gestetner-cum-Photocopier Operator) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation (Gestetner-cum-Photocopier Operator) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation (Gestetner-cum-Photocopier Operator) Recruitment Rules, 2014, in the Schedule -

   (i) Under column (7), after the existing entries, the following shall be inserted, namely:-
   "Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidate otherwise well qualified.
   Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Sheduled Tribes, if at any stage of selection the commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them";
   (ii) Under column (9), for the existing entry, the entry "Two years for direct recruits" shall be substituted.

[No.12018/05/2012-E.II]

BRAJESH GODRA, Under Secy.

Note: The principle rules were notified vide notification number G.S.R. 29, dated the 13th February, 2014 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 15th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.